



राजस्थान - सरकार
शिक्षा - विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान
वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>
ई.मेल-hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/ 1305

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 अगस्त 2021 को जारी विभिन्न आदेशों (कॉलम संख्या 07 एवं 08) द्वारा किये गये सह/सहायक आचार्यों के स्थानान्तरण आदेशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र. स.	नाम सह/सहायक आचार्य (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	राजकीय महाविद्यालय			पूर्व आदेश क्रमांक एवं दिनांक	पूर्व आदेश में क्र.स
			कहां से	स्थानान्तरित महाविद्यालय	संशोधित महाविद्यालय		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उर्मिला फोगडिया	रसायन शास्त्र	जैसलमेर	बीदासर	चुरु	1298/ 10.8.21	145
2	अर्जुन लाल जाट	समाज शास्त्र	डूंगरपुर	सीकर कन्या	खण्डेला	1298/ 10.8.21	168
3	लक्ष्मी परेवा	भूगोल	विराटनगर	बानसूर	हौद कन्या	1300/ 11.8.21	41
4	नेहा मीणा	वनस्पति शास्त्र	करोली	भरतपुर कन्या	भरतपुर	1300/ 11.8.21	101
5	सरिता	भूगोल	डेगाना	राजगढ चुरु	तारानगर	1301/ 12.8.21	26
6	सत्यदेव शर्मा	भूगोल	अलवर कला	सज्जनगढ	मालाखेडा	1298/ 10.8.21	77
7	महेश कुमार	राजनीति शास्त्र	रायपुर भीलवाडा	लोसल	सीकर कला	1298/ 10.8.21	105

जिन जिलो में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है, उनमें उक्त आदेश आचार संहिता समाप्ति के पश्चात प्रभावी होंगे।

(संदेश मापक)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/ 1305

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा.टीप.संख्या :रा. म. /उ.शि./2021/2734 दिनांक 12.08.2021 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि जिन जिलो में चुनाव आचारसंहिता लागू है वे आचारसंहिता का पालना सुनिश्चित करें एवं जिन महाविद्यालयों में शून्य की स्थिति बनती है वहाँ आयुक्तालय की अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
6. सम्बन्धित सह/सहायक आचार्य को पालनार्थ।
7. वेबसाईट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(13/08/2021)
(डॉ.आर.सी.मीना)

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर